उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 17 भाद्रपद, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 08 सितम्बर, 2023)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख एवं ग"**)

3. निधन के निदेश।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

6. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

   (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-''घ'')

7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

8. दिनांक 29 नवम्बर, 2022 प्रथम मंगलवार को इं0 रवि बहादुर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-41 के उत्तर में संशोधन हेतु सिंचाई मंत्री का शोधन वक्तव्य।

   (शोधन वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी ''ङ'')

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

   मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 जो कि दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा संशोधन सहित पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

10. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

    मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो कि दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन सहित पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

12. वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत रू0 150000 हजार (पंद्रह करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 124868 हजार (बारह करोड़ अड़तालीस लाख अरसठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत रू0 48060 हजार (चार करोड़ अस्सी लाख साठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 3276055 हजार (तीन सौ सत्ताईस करोड़ साठ लाख पचपन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 9101771 हजार (नौ सौ दस करोड़ सत्रह लाख इकहत्तर हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत रू0 25000 हजार (दो करोड़ पचास लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 5955 हजार (उनसठ लाख पचपन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) गृह मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 660235 हजार (छियासठ करोड़ दो लाख पैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 3813202 हजार (तीन सौ इक्यासी करोड़ बत्तीस लाख दो हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 8247896 हजार (आठ सौ चौबीस करोड़ अठ्हत्तर लाख छियानवे हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 15773429 हजार (एक हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़ चौंतीस लाख उन्तीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 1330847 हजार (एक सौ तैंतीस करोड़ आठ लाख सैंतालीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रू0 2743520 हजार (दो सौ चौहत्तर करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 894610 हजार (नवासी करोड़ छियालीस लाख दस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 184844 हजार (अठारह करोड़ अड़तालीस लाख चवालीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 357227 हजार (पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख सताईस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 3710640 हजार (तीन सौ इकहत्तर करोड़ छः लाख चालीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 140005 हजार (चौदह करोड़ पांच हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 505003 हजार (पचास करोड़ पचास लाख तीन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 5565135 हजार (पांच सौ छप्पन करोड़ इक्यावन लाख पैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 612006 हजार (इकसठ करोड़ बीस लाख छः हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 242500 हजार (चौबीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 2894300 हजार (दो सौ नवासी करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 100000 हजार (दस करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रू0 1259967 हजार (एक सौ पच्चीस करोड़ निन्यानवे लाख सड़सठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 389003 हजार (अड़तीस करोड़ नब्बे लाख तीन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 124120 हजार (बारह करोड़ इकतालीस लाख बीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(28) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 3826235 हजार (तीन सौ बयासी करोड़ बासठ लाख पैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

(29) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 1183651 हजार (एक सौ अठारह करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाय।

13. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

14. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

15. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

16. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

17. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

18. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

19. लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

20. लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

21. तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

22. तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

23. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

24. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

25. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

26. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

27. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

28. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

29. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

30. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

31. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

32. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

33. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।(15 मिनट)

34. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

35. सैनिक कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

36. सैनिक कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

37. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

38. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

39. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

40. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

41. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

42. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

43. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

44. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में यथा संशोधनों सहित पारित किया जाय।

45. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा, असरकारी विधेयक "उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023"को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगी।

46. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा, असरकारी विधेयक "उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करेंगी।

47. श्री मनोज तिवारी, सदस्य विधान सभा, असरकारी विधेयक "उत्तराखण्ड आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

48. श्री मनोज तिवारी, सदस्य विधान सभा, असरकारी विधेयक "उत्तराखण्ड आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करेंगे।

49. <u>निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-</u>

1. श्रीमती अनुपमा रावत, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।"

2. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद सदन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।"

3. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।"

4. श्री संजय डोभाल, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौंड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।"

50. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

51. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।"

52. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

53. <u>नियम- 105 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-</u>

1. श्रीमती ममता राकेश, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ0बी0सी0 लोगों को आउट सोर्सेज के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।"

2. श्रीमती अनुपमा रावत, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन" कर दिया जाय।'

54. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

55. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

56. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

57. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट में अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे मशीन न होने से व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को दी गई सूचना पर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

58. उत्तराखण्ड प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी तदर्थ/आउटसोर्स की नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में, श्री शहजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक :07 सितम्बर, 2023

07-09-2023
(शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश)
सचिव।

द्वितीय सत्र, 2023
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 17 भाद्रपद, शक संवत्, 1945
(दिनांक : 08 सितम्बर, 2023)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह 30.08.2023	** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर को "स्मार्ट सिटी" बनाए जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा घोषणा किस तिथि को की गई थी तथा "स्मार्ट सिटी" बनाए जाने हेतु कितनी धनराशि अब तक केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है एवं इसके सापेक्ष कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए गये है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि देहरादून नगर कब तक पूर्ण रुप से "स्मार्ट सिटी" की श्रेणी में सम्मिलित हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री मनोज तिवारी 30.08.2023	** क्या आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लगातार हो रही बरसात/आपदा के कारण सरकार द्वारा प्रभावित प्रति परिवार को कितना मुआवजा राशि प्रदान की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कट करेंगे कि आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या मानक तय किये गये है, तथा तय मानकों पर सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

नत्थी 'ख'

(उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न)

श्री गोपाल सिंह राणा
20.10.2022

*01. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत आने वाली खटीमा तहसील एवं उप तहसील नानकमत्ता में आवारा पशुओं (गाय, बैल) से राष्ट्रीय राज मार्ग में आये दिन दुर्घटनायें हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला या गौसदन की कोई स्थाई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो इस गम्भीर समस्या को देखते हुए इसके निस्तारण हेतु कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्रीमती अनुपमा रावत 29.05.2023	*1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार सहित राज्य के सभी जिलों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस नुकसान का आंकलन किया गया है ? यदि हां तो सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिये क्या–क्या कदम उठाये गये हैं और कितनी धनराशि किसानों को मुआवजे के तौर पर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्रीमती ममता राकेश 29.05.2023	*2. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों को शुगर वेजबोर्ड का लाभ दिया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मिलों में कार्यरत श्रमिकों को वेजबोर्ड का लाभ दिये जाने हेतु 21 जनवरी, 2017 को राजाज्ञा जारी हुई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा चीनी मिलों के श्रमिकों को वेजबोर्ड का लाभ कब तक प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
श्रीमती ममता राकेश 29.05.2023 श्रीमती अनुपमा रावत 13.06.2023	*3. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा गन्ने से गुड़ का उत्पादन किया जाता है ? क्या यह सत्य है कि इन किसानों की आय सीमित होने के कारण गुड़ बनाने वाले इन छोटे–छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योगों में शामिल करने की मांग लम्बे समय से हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुड़ बनाने वाले इन छोटे–छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योग की श्रेणी में शामिल कर किसानों को प्रोत्साहित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

श्री विरेन्द्र कुमार 29.05.2023	*4. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से आतिथि तक खरीफ व रबी में आयोजित कृषि महोत्सव से फसलवार कितने कृषकों ने कृषि महोत्सव का लाभ लिया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त महोत्सवों पर अलग–अलग कितना व्यय हुआ तथा कितनी समस्याऐं महोत्सव में किसानों द्वारा उठाई गई तथा उनमें से कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री आदेश सिंह चौहान 29.05.2023	*5. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2021 से वर्तमान तक जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवारों को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जा चुके हैं तथा कितने परिवार इस योजना से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार वंचित रह गये परिवारों को आवास आवंटित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री विक्रम सिंह नेगी 29.05.2023	*6. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से अर्द्ध सैनिक बल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा इनके आश्रितों को रोजगार दिया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने पूर्व अर्द्ध सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को नियुक्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण
श्री विरेन्द्र कुमार 30.05.2023	*7. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्रचलित गन्ना प्रजातियों की पूर्व के तीन पेराई सत्र की रिकवरी दर क्या है ? क्या प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा उक्त रिकवरी दर के आधार पर सभी किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

श्री बृजभूषण गैरोला
30.05.2023

*8. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में फूलों के बढ़ते उत्पादन के कारण मंडी की मांग कृषकों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि फूलों की मंडी न होने के कारण फूल उत्पादकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह–जगह भटकना पड़ता है ? क्या सरकार राज्य में उत्पादित फूलों को बेचने हेतु मंडी खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं फलोद्योग

श्री बृजभूषण गैरोला
30.05.2023

*9. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि रुलर इंटर प्राईज एक्सलरेशन प्रोग्राम (रीप) में राज्य के सभी विकास खण्डों को शामिल कर लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि रुलर इंटरप्राईज एक्सलरेशन प्रोग्राम (रीप) द्वारा स्वयं सहायता समूह और कलस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़े गरीब परिवारों को नया उद्यम शुरु करने के लिए ऋण दिया जायेगा तथा इस योजना के तहत कितने स्वयं सहायता समूहों, कृषि उत्पादक समूहों कलस्टर फेडरेशन समेत कितने लोगों को छोटे उद्यमों से जोड़ा जायेगा एवं उक्त योजना में कौन–कौन से कार्यों को जोड़ा जायेगा, जिससे स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवारों की आय में वृद्धि हो सके ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना हेतु केन्द्र सरकार से उत्तराखण्ड राज्य को वित्तीय सहायता मिल रही है ? यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

श्री बृजभूषण गैरोला
31.05.2023

*10. क्या मत्स्य पालन मंत्री अवगत हैं कि राज्य के प्राकृतिक जलस्रोतों, बहने वाली जल धारायें आदि में मत्स्य पालन की अपार सम्भावनायें है ? क्या यह भी सत्य है कि मत्स्य पालन से राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन सी योजनाऐं चल रही है ? सरकार द्वारा मत्स्य पालन हेतु राज्य सैक्टर एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के माध्यम से कितने तालाबों का निर्माण किया गया है तथा कितने तालाबों का सुधार किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मत्स्य योजना के लिए क्षेत्रों को विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो वह कौन–कौन से क्षेत्र है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य पालन

श्री उमेश कुमार
31.05.2023

*11. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के खाद्य, बीज, एवं कीटनाशक दवाईयों आदि पर सब्सिडी बढ़ाये जाने पर कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री संजय डोभाल
31.05.2023

*12. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फसल की विभिन्न प्रकार के जीव जन्तुओं से सुरक्षा के कोई उपाय किये जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि वन्य जीव–जन्तु कृषि को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण कृषकों की अनाज की पैदावार अत्यधिक मात्रा में घट रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री उमेश कुमार
01.06.2023

*13. क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के पेराई सत्रों में गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस मंहगाई के दौर में गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास

श्री संजय डोभाल
01.06.2023

*14. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि कृषि उपज के भण्डारण की सुविधा न होने के कारण किसानों को अपनी उपज बिचौलियों को कम कीमत पर बेचने को विवश होना पड़ता है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव, डुण्डा, चिन्यालीसौड़ में कृषि उपज के भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

कृषि

श्री खजान दास
01.06.2023

*15. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड में वर्षभर मे कुल कितनी फसलें उगाई जाती है तथा उनका उत्पादन कितना–कितना है ? क्या उत्तराखण्ड में किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए जलवायु के अनुरुप कुछ नई फसलों को उगाने के लिए कृषि विभाग कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री खजान दास 01.06.2023 श्री महेश जीना 08.06.2023	*16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड निर्माण के बाद से प्रदेश में पलायन लगातार जारी है तथा पूर्व की अपेक्षा प्रदेश में पलायन में वेहताशा वृद्धि हुई है जिस कारण राज्य के सैकड़ो गांव गैर आवाद हो गये हैं ? क्या सरकार पलायन को रोकने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02.06.2023	*17. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में भारी ओलावृष्टि होने से काश्तकारों की सेब, आडू, खुमानी इत्यादि नकदी फसलों को भारी क्षति पहुंची है ? क्या सरकार द्वारा ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त नकदी फसलों व प्रभावित काश्तकारों को क्षति का प्रतिकर भुगतान का कोई डाटा तैयार किया गया है ? यदि हां, तो जनपदवार ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को प्रतिकर/अनुमन्य राहत का वितरण कब तक करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री महेश जीना 08.06.2023	*18. क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ों से निकलने वाली छोटी–छोटी नदियों में मत्स्य पालन के लिए आतिथि तक कुल कितने सरोवर चयनित किये गये हैं और कुल कितने सरोवर विकसित किये गये है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सल्ट में मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आतिथि तक कुल कितने ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है ? क्या सरकार मत्स्य पालन को स्थानीय निवासियों व समूहों को स्वरोजगार का प्रमुख आय का स्रोत बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	मत्स्य
श्री महेश जीना 08.06.2023	*19. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागान व सुगन्धित गुलाब की खेती करके स्वरोजगार व पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितने व्यक्ति/समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बगान व सुगन्धित गुलाब की खेती को प्रोत्साहित कर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण

श्री आदेश सिंह चौहान **09.06.2023**	*20. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों का नवीनीकरण करने पर विचार कर रही है ? क्या यह सत्य है कि प्रदेश में स्थित उक्त चीनी मिलों का नवीनीकरण न होने से चीनी उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे मिलों को घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत जसपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित नादेही चीनी मिल सहित अन्य चीनी मिलों का अविलम्ब नवीनीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री आदेश सिंह चौहान **23.01.2023**	01. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में आवारा पशु गाय व भैंस आदि जानवरों के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनायें हो रही है तथा उनके द्वारा किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? क्या सरकार उपरोक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने जा रही है ? यदि, हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश **29.05.2023**	1. मेरे द्वारा वर्ष 2022 के द्वितीय उपवेशन के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–5 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मा0 कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि सरकार सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेन्सी बनायेगी ? क्या मंत्री जी उक्त के क्रम में बतायेंगे कि सरकार द्वारा सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेन्सी बना दिया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान तिथि तक कितने बेरोजगारों को इसके माध्यम से सेवायोजित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्री विरेन्द्र कुमार **29.05.2023**	2. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा अप्रैल, 2022 से वर्तमान तिथि तक कितने जनपदों में रोजगार मेला आयोजित किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन
श्री शहजाद **29.05.2023**	3. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विधायक निधि की गाईड लाईन में महापुरुषों के सम्मान में गेट निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है ? क्या सरकार संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर व ज्योतिबा फूले, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भारतीय सेना के किसी भी अंग के शहीदों हेतु तोरण द्वार निर्माण को विधायक निधि की गाईड लाईन में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री सुमित हृदयेश **29.05.2023**	4. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में पूर्व में महिला समूहों द्वारा इन्दिरा अम्मा कैंटीन संचालित की जा रही थी ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्व में ये कैंटीन कितने स्थानो पर संचालित की जा रही थी और वर्तमान में कितने स्थानो में संचालित की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अधिकांश इन्दिरा अम्मा कैंटीन का संचालन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाये जाने की इस महत्वपूर्ण योजना को बन्द किये जाने के क्या कारण है ?	ग्राम्य विकास
श्री विक्रम सिंह नेगी **29.05.2023**	5. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात आई.टी.आई. करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को हाईस्कूल पास के समकक्ष एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात आई.टी.आई. करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण के समकक्ष मान्यता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्री विक्रम सिंह नेगी **29.05.2023**	6. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जड़ी बूटियों के विकास हेतु जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान (एच.आर.डी. आई.) का उपकेन्द्र 2015 में प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सेम–मुखेम में खोला गया जिसके लिए 205 नाली भूमि भी उपकेन्द्र को आंवटित हो चुकी है जिसमें किसान प्रशिक्षण सेन्टर, कृषक हॉस्टल एवं नर्सरी स्थापना करना था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान उपकेन्द्र सेम–मुखेम संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त संस्थान में आतिथि तक स्थानीय/प्रदेश स्तर पर रोजगार सृजन हेतु कितने पद स्वीकृत किये गये है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपकेन्द्र में किसान प्रशिक्षण सेन्टर, कृषक हॉस्टल एवं नर्सरी स्थापना हो चुकी है तथा वर्तमान में उक्त उपकेन्द्र में एच.आर.डी.आई. के कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री विरेन्द्र कुमार **30.05.2023**	7. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कुल कितने पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्र संचालित है तथा इनमें चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ नियुक्त है ? क्या यह सत्य है कि जनपद हरिद्वार के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की अत्यधिक कमी है ? यदि हां, तो सरकार सभी रिक्त पदों पर तैनाती कब तक सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्रीमती अनुपमा रावत **30.05.2023**	8. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में सहकारी और निजी क्षेत्रों के चीनी मिलों में एथेनॉल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो तद्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन कारणों का कब तक निदान कर दिया जायेगा ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

श्रीमती अनुपमा रावत 30.05.2023	9. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मनरेगा के अन्तर्गत कितने कार्य दिवस जिलेवार व विकास खण्डवार सृजित किये गये तथा इसके अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विकास खण्डवार कितने लोगों को काम दिया गया और कितनी परिसम्पतियां सृजित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विकास खण्ड बहादराबाद सहित इसका ब्यौरा किस प्रकार है ?	ग्राम्य विकास
श्रीमती अनुपमा रावत 30.05.2023	10. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान में कितनी आय तक के व्यक्तियों को बी.पी.एल. श्रेणी में रखा गया है तथा बी.पी.एल. आय निर्धारण का आधार क्या है ? क्या सरकार बी0पी0एल0 श्रेणी की आय सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्रीमती अनुपमा रावत 30.05.2023	11. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मानकों के अनुसार कुल कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा कितनी और सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्रीमती ममता राकेश 30.05.2023	12. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत नाबार्ड पोषित योजना के तहत कितनी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास

श्री बृजभूषण गैरोला
31.05.2023

13. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद प्रदेश में हर्बल सैक्टर के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड की स्थापना वर्ष 2001 में की गयी थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के साथ समन्वय कर कार्यो को संचालित करना है ? क्या यह भी सत्य है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रुप से जड़ी–बूटियां एवं सगन्ध पादपों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के हिमालयी क्षेत्रों व तराई में कौन–कौन सी जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है तथा इसके लिए कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अन्तर्गत औषधीय पादप के क्षेत्र में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मंडल गोपेश्वर, जिला चमोली गढ़वाल तथा सगन्ध पौधा केन्द्र, सैलाकुई देहरादून में स्थापित है ? क्या सरकार राज्य के अन्तर्गत पिथौरागढ़ या किसी अन्य स्थान पर शोध एवं विकास संस्थान खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह संस्थान किस स्थान पर खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण

श्री बृजभूषण गैरोला
31.05.2023

14. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 75–75 अमृत सरोवर बनाये जाने हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक कुल कितने अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा सरोवरों के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है एवं राज्य के किन–किन जनपदों में किस–किस विभाग द्वारा अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन–किन स्थानों में अमृत सरोवर बनाये जा रहे है तथा कितने सरोवरों का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

श्री उमेश कुमार
31.05.2023

15. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के खानपुर विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत हुई अनियमित्ता के कुल कितने मामलें विचाराधीन है एवं विभाग द्वारा कितने मामलों का निस्तारण किया जा चुका है तथा कितने मामले आतिथि तक शेष है ? क्या सरकार उक्त मामलों में शिकायतकर्ता के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

श्री उमेश कुमार
31.05.2023

16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार प्रदेश में मनरेगा के तहत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में तार–बाड़ किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

श्रीमती अनुपमा रावत
31.05.2023

17. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सैनिक कल्याण विभाग में सातवां वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है ? क्या यह सत्य हैं कि सैनिक कल्याण विभाग में समूह 'ग' और समूह 'घ' के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ अभी तक प्रदान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ न दिये जाने के क्या कारण है तथा इन्हें कब तक उक्त वेतनमान का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैनिक कल्याण

श्रीमती अनुपमा रावत
31.05.2023

18. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में प्रत्येक जनपद में कितने ग्राम्य विकास अधिकारी कार्यरत है ? क्या सरकार इनका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादराबाद में वर्तमान में कितने ग्राम्य विकास अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

इंजी0 रवि बहादुर
31.05.2023

19. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के बंदरजूड़ गांव में पूर्व की सरकार द्वारा खोले गए महिला आई.टी.आई. में पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने आई.टी.आई. में अभी तक प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो सरकार उक्त आई.टी.आई में प्रशिक्षकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण का कार्य कब से प्रारम्भ करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्री संजय डोभाल 01.06.2023	20. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव व विकास खण्ड डुण्ड़ा, चिन्यालीसौड़ में क्षेत्रीय उत्पादित नगदी फसलों के विपणन एवं रख–रखाव हेतु सरकार लघु मण्डियों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02.06.2023	21. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) से प्रदेश के विभिन्न विभागों/उपक्रमों/संस्थानों में कार्यरत लगभग 22000 कार्मिकों के वेतन से जी.एस.टी. की कटौती की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि अत्यधिक अल्प मानदेय/दैनिक वेतन पर वर्षों से निष्ठा व ईमानदारी से कार्यरत इन कार्मिकों का लगभग रू. 3000.00 (रूपये तीन हजार) से अधिक धनराशि जी.एस.टी. लगाकर काटी जा रही है ? क्या सरकार महंगाई तथा इनके अल्प मानदेय/दैनिक वेतन को दृष्टिगत रखते हुए जी.एस.टी. काटे जाने वाले निर्णय को वापस करेगी। यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02.06.2023	22. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने के कारण पशुपालकों की बकरियों/भेड़ों की जान गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि बकरी/भेड़पालकों को प्रति पशु कुल कितनी धनराशि प्रतिकर/अनुमन्य राहत के अन्तर्गत देय का प्राविधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि पशुधन की आपदा में हुई ऐसी घटना में प्रति पशु के प्रतिकर/अनुमन्य राहत की प्रचलित धनराशि में वृद्धि किए जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02.06.2023	**स्थगित।** 23. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में ग्राम पापरा तल्ला से पापरा मल्ला तक ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया था, किन्तु 01 किमी. अवशेष भाग का निर्माण नहीं हो सका था ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम पापरा तल्ला से पापरा मल्ला तक अवशेष 01 किमी. भाग का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार **02.06.2023**	24. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत कितने किमी. तक की ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण कार्य करवाये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार धनोल्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में थान खाले से राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (जामटी) थान तक लगभग 2.50 किमी. मोटरमार्ग का निर्माण ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट **05.06.2023**	25. क्या दुग्ध विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय भू–भाग में पाये जाने वाली पहाड़ी गायों का दूध विशिष्ट औषधीय ए2 दूध है ? क्या सरकार गुजरात के अमूल एवं कर्नाटक में नन्दिनी ब्राण्ड के लोकप्रिय दुग्ध उत्पादों की तरह इन पर्वतीय भू–भाग में पाये जाने वाली गायों के ए2 दूध से बने उत्पादों की ब्रांडिग करने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	दुग्ध विकास
डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट **06.06.2023**	26. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ में आवारा पशुओं/गौवंशों से आए दिन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग व आंतरिक मार्गों में दुर्घटनाऐं होती है जिस कारण कभी पशु तो कभी जनमानस को जान माल की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबध में आवारा पशुओं /गौवंशों हेतु गौशाला बनाने एवं उनके स्वास्थ्य हेतु पशु चिकित्सकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्रीमती ममता राकेश **08.06.2023**	27. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय एवं अनुसूचित जाति समुदाय का स्तर अधिक संख्या में है ? क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड बहादराबाद में एक कल्स्टर का चयन किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बल मिशन को पूर्ववत लागू करके विकास खण्ड भगवानपुर को फेज–2 के तहत सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास

श्री महेश जीना 08.06.2023	28. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में लाखोरी मिर्च का वृहद पैमाने में उत्पादन होता है और पूर्व में सरकार द्वारा लाखोरी मिर्च का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उक्त योजना लागू है तथा वर्ष 2022 में सल्ट में लाखोरी मिर्च का उत्पादन करने वाले कुल कितने किसानों को प्रोत्साहित किया गया है ? क्या सरकार लाखोरी मिर्च का उत्पादन करने वाले सभी किसानों को प्रोत्साहित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09.06.2023	29. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पैरा मिलिट्री फोर्स के सैनिक जिनको गैलेन्ट्री अवार्ड मिलता है, को सरकार द्वारा उन्हें राज्य की ओर से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाता है ? क्या यह सत्य है कि अन्य राज्यों में गैलेन्ट्री अवार्डी पैरा मिलेट्री फोर्स के सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा एक सम्मानजनक राशि देकर सम्मानित किया जाता है? क्या सरकार राज्य में ऐसे सैनिकों को एक निश्चित धनराशि देकर सम्मानित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09.06.2023	30. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पत्रांक 2342/पशुपालन/2021–22 दिनांक 17.06.2021 जो कि सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित है, जिसे पशुचिकित्साधिकारियों व पशुधन प्रसार अधिकारियों की सम्बद्धता निरस्त करने हेतु प्रेषित किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि पत्र में उल्लिखित चिकित्साधिकारी व पशुधन प्रसार अधिकारी किस तिथि से कहां तैनात किये गये थे और किस तिथि से उन्हें कहां सम्बद्ध किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सम्बद्ध कार्मिकों को मूल तैनाती स्थल पर वापस किया जा चुका है? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन

श्री प्रीतम सिंह पंवार **09.06.2023**	31. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में गतवर्षों तक कृषकों के लिए चैनलिंग फैशिंग में 75 प्रतिशत तथा पॉली हाऊॅस में 90 प्रतिशत अनुदान पर योजनाऐं संचालित थी ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में अनुदान घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में उक्त योजनाओं में अनुदान पूर्व की भांति यथावत है? क्या सरकार कृषकों के हित में जिला योजना के अन्तर्गत चैनलिंग फैशिंग व पॉली हाऊस में पूर्व की भांति अनुदान यथावत रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार **09.06.2023**	32. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर व थौलधार में वर्तमान समय में कुल कितने पशु सेवा केन्द्र संचालित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पशु सेवा केन्द्रों में कौन–कौन से केन्द्र उच्चीकृत किए जा रहे है अथवा किये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर स्थित पशु सेवा केन्द्रों को उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री महेश जीना **12.06.2023**	33. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत बाजखेत–तुराचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य किया गया था, किन्तु डामरीकरण का कार्य 06 किमी0 अवशेष रह गया था, जिससे जनता को यातायात हेतु असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार जनहित में बाजखेत–तुराचौरा मोटर मार्ग के अवशेष 06 किमी0 भाग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री महेश जीना **12.06.2023**	34. क्या सैनिक कल्याण मंत्री अवगत हैं, कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2022 से आम नागरिकों के लिये उपनल में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से बन्द कर दी गयी है ? क्या सरकार भविष्य में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को भी उपनल में नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण

श्री गोपाल सिंह राणा 13.06.2023	35. क्या मत्स्य पालन मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश में वर्ष 2022–23 में मछली मारने का टेंडर नहीं हुआ था, जिससे किसी भी ठेकेदार को ठेका नही दिया गया ? क्या यह सत्य है कि इससे प्रदेश को राजस्व की काफी हानि हुई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चालू वर्ष में मछली मारने का टेंडर होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	मत्स्य पालन
श्री विरेन्द्र कुमार 15.06.2023	36. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार कुल कितने पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सा सेवा केन्द्र संचालित है तथा जनपदवार डॉक्टर के कुल कितने पद सृजित हैं एवं कितने पद रिक्त है ? क्या सरकार के रिक्त पदों को भरने हेतु यथाशीघ्र कोई कार्ययोजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.06.2023	37. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत ग्राम गैड विकास खण्ड जौनपुर, में ग्रामीणों द्वारा पशु सेवा केन्द्र गैड में भवन निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त भवन निर्माण हेतु स्थान का चयन कर राजस्व उपनिरीक्षक से नक्शा खसरा व प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.06.2023	38. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी, नैनबाग और टिहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से आने वाले कास्तकारों को अपनी कृषि उपज के विकय हेतु नवीन सब्जी मण्डी स्थल निरंजनपुर, देहरादून आना पड़ता है ? क्या यह सत्य हैं कि यहां पर आढ़तियों द्वारा कास्तकारों से उनके कृषि उपज पर 7 प्रतिशत के लगभग आढ़त ली जाती है ? क्या सरकार उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी विकास एवं विनियमन् अधिनियम 2011 की धारा 12 में प्रदत्त व्यवस्था के तहत आढ़त लिये जाने हेतु ठोस व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

श्री प्रीतम सिंह पंवार **16.06.2023**	39. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 07.09.2022 को विकास खण्ड जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल की बैठक में राजकीय पशु चिकित्सालय भवान में तैनात पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–2 के आमजन के प्रति व्यवहार उचित न होने के कारण स्थानान्तरण की अपेक्षा की गई थी ? क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 28.01.2023 को जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की बैठक में पुनः 28.03.2023 को क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बैठक में उक्त पशु चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण कराये जाने पर बैठक में चर्चा हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पशु चिकित्साधिकारी का जन प्रतिनिधियों की मांग पर प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री हरीश सिंह धामी **26.06.2023**	40. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कितने पशु चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष कितने पशु चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री मयूख महर **12.07.2023**	41. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत करायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2012–17 के बीच कुल कितने आई.टी.आई. खोले गये थे तथा इनमें से कितने आई.टी.आई. बन्द कर दिये गये है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन आई.टी.आई. में उक्त अवधि में सरकार द्वारा कितने प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया, उनका कितना वेतन निर्धारित किया गया और अब तक कितने प्रशिक्षकों का वेतन भुगतान लम्बित है और उक्त राशि कुल कितनी है ? क्या सरकार उक्त बेरोजगार प्रशिक्षकों का शेष वेतन का भुगतान करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बन्द आई.टी.आई. को पुनः खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्रीमती ममता राकेश **19.07.2023**	42. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 से आतिथि तक आवास नहीं मिल पाये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि आपदा पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री संजय डोभाल **21.07.2023**	43. क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को व्यवसाय के रुप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कारगर योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कोई अनुदान देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो अभी तक मत्स्य पालन के लिए सरकार द्वारा कितने व्यवसायिकों को अनुदान दिया गया है ? क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	मत्स्य पालन
डॉ0 प्रमोद नैनवाल **26.07.2023**	44. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में स्थित उद्यान निदेशालय, चौबटिया में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है ? क्या यह सत्य है कि इस निदेशालय से कई अधिकारी/कर्मचारी प्रदेश के अन्य कार्यालयों में सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इस निदेशालय हेतु स्वीकृत सभी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य विभागों से सम्बद्ध कार्मिकों को उद्यान निदेशालय, चौबटिया से ही शाासकीय कार्य निष्पादन करने के लिए कोई आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री भरत सिंह चौधरी **31.07.2023**	45. क्या कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग को वर्ष 2014 में जैविक जिला घोषित किया गया है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अद्यतन कितने किसानों को जैविक किसान के रुप में प्रमाणीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों के जैविक प्रमाणीकरण की प्रकिया प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण

श्री भरत सिंह चौधरी 01.08..2023	46. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत है कि जनपद रुद्रप्रयाग के चिरबटिया नामक स्थान पर पिछले 25 वर्षों से औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है ? क्या यह सत्य हैं कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान के पास भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भी वर्तमान समय तक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन
श्री भरत सिंह चौधरी 01.08..2023	47. क्या कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र, रुद्रप्रयाग के चिरबटिया नामक स्थान पर स्थापित कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री भरत सिंह चौधरी 03.08.2023	**"द्वितीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–01 में स्थानांतरित"** 48. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जखोली ब्लाक में वर्ष 2013–14 में सरकार द्वारा वैटनरी मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की गई थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त वैटनरी मेडिकल कॉलेज हेतु काश्तकारों द्वारा भूमि भी दान की गई थी, किन्तु अभी तक कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वैटनरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री भरत सिंह चौधरी 03.08.2023	49. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुदप्रयाग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग के पूर्वीवांगर क्षेत्र में लम्बे समय से पशु सेवा केन्द्र की स्थापना की मांग की जा रही है, जिसके लिए पशुपालन विभाग के स्वामित्व की लगभग 60 नाली भूमि प्रस्तावित की गई है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लम्बे समय के उपरान्त भी पशु सेवा केन्द्र स्थापित न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त स्थल पर पशु सेवा केन्द्र की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन

नत्थी -"घ"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6सितम्बर, 2023 की बैठक में दिनांक 08 सितम्बर, 2023 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखें जाने की सिफारिश की है:-

1. उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
3. वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
5. राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
6. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
7. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
8. उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
9. उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
10. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)
11. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
12. राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
13. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**
14. माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को संशोधनों सहित विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

विधेयक वापस लिये जाने हेतु प्रस्ताव

1. व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019
2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019

असरकारी विधेयक

1. उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023

श्रीमती अनुपमा रावत,

माननीय सदस्य, विधान सभा।

2. उत्तराखण्ड आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक, 2023

श्री मनोज तिवारी,

माननीय सदस्य, विधान सभा।

असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्रीमती अनुपमा रावत, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।"

2. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद सदन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।"

3. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।"

4. श्री संजय डोभाल, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौंड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।"

विगत सत्र के असरकारी संकल्प

1. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचारः-:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचारः-:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।"

3. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचारः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

नियम- 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरणः-

1. श्रीमती ममता राकेश, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ0बी0सी0 लोगों को आउट सोर्सेज के पदो पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।"

2. श्रीमती अनुपमा रावत, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन" कर दिया जाय।"

विगत सत्र के नियम-105 के प्रस्ताव

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचारः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

2. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचारः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ङ"

इं0 रवि बहादुर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रकिया संबंधी निदेश संख्या-162 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 28 अगस्त, 2022 के संबंध में "शोधन वक्तव्य"

पंचम विधान सभा वर्ष 2022 के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-41

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
41. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बंजारेवाला से ग्राम संघीपुर तक बरसाती नदियां होने के कारण बरसाती पानी कास्तकारों की हजारों बीघा फसलों को बर्बाद कर रहा है?	जी हां।	-
यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बरसाती पानी से फसलों के बचाव के लिए कितना पीचिंग कार्य किया गया?	जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में सोलानी नदी के समीप ग्राम रणसुरा, मोमिनपुर, लादपुर, घड़ी संघीपुर आदि ग्राम स्थित है। उक्त ग्रामों की कृषि भूमि को सोलानी नदी के बहाव से बचाने हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत 02 स्पर निर्माण कार्य योजना लागत रू0 12.41 लाख तथा आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत स्पर निर्माण कार्य की 04 योजनायें लागत रू0 29. 18 लाख के पीचिंग कार्य सम्पादित कराये गये हैं।	जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में सोलानी नदी के साथ-साथ मोहन्ड रौ रायघाटी, धुलिया नदी/लालो नदी, चीला नदी, रतमऊ, हल्जोरा, नोदरा, रजवा रौ बीज नदी एवं कन्या प्रमुख नदी/नाले है। उक्त नदियों के अतिसंवेदनशील स्थानों पर बरसाती पानी से फसलों के बचाव हेतु विभिन्न मदों के अन्तर्गत रू0 1737.23 लाख के बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गये है अथवा कराये जा रहे है व उनकी सूची अनुपूरक सामग्री के रूप में संलग्नक-01 तथा बरसाती पानी से कृषि भूमि की बाढ़ से बचाव हेतु रू0 9511.98 लाख की योजनायें (संलग्नक-2) प्रस्तावित हैं।
यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।	-

सतपाल महाराज
मंत्री।

उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 को उत्तरित इं0 रवि बहादुर, मा0 सदस्य, विधान सभा के प्रथम मंगलवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या–41 के विषय में उत्तराखण्ड विधान सभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रकिया सम्बन्धी निदेश संख्या–162 के अन्तर्गत पूर्व प्रेषित सूचना की सत्यता की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अनुपूरक

(अ) पूर्व में प्रेषित निर्माण कार्यों की सूची

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राविधानित कार्य	लागत (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सोलानी नदी बाढ सुरक्षा कार्य			
1	दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत लादपुर के निकट सोलानी नदी की धारा के प्रवाह के विचलन एवं ग्राम रणसुरा, लादपुर कला, लादपुर अहतमाल, मोमिनपुर, घड़ी संघीपुर बोडाहेडी आदि की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन	02 Nos Spur	12.41	कार्य पूर्ण
2	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत लादपुर के निकट सोलानी नदी की धारा के प्रवाह के विचलन एवं ग्राम लादपुर कला, लादपुर अहतमाल जैनपुर, नबादा, डोसनी एवं घड़ी संघीपुर आदि की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन चैनेज 2.962 कि0मी0	01 No. Spur	7.33	कार्य पूर्ण
3	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत लादपुर के निकट सोलानी नदी की धारा के प्रवाह के विचलन एवं ग्राम लादपुर कला, लादपुर अहतमाल जैनपुर, नबादा, डोसनी एवं घड़ी संघीपुर आदि की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन चैनेज 2.592 कि0मी0	01 No Spur	7.33	कार्य पूर्ण
4	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत लादपुर के निकट सोलानी नदी की धारा के प्रवाह के विचलन एवं ग्राम लादपुर कला, लादपुर अहतमाल मोमिनपुर, घड़ी संघीपुर, बोडाहेडी आदि की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन चैनेज 3.062 कि0मी0	01 No spur	7.26	कार्य पूर्ण
5	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत लादपुर के निकट सोलानी नदी की धारा के प्रवाह के विचलन एवं ग्राम लादपुर कला, लादपुर अहतमाल मोमिनपुर, घड़ी संघीपुर, बोडाहेडी आदि की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन चैनेज 3.162 कि0मी0	01 No spur	7.26	कार्य पूर्ण
	(ब) अतिरिक्त निर्माण कार्यों, जो पूर्व में सम्मिलित नहीं की गई थी, की सूची			
	शिवालिक पहाडियों से निकलने वाली प्रमुख नदियां/नाले , मौहन्ड रौ, रायघाटी, धुलिया नदी/लालो नदी, चीला नदी, रतमऊ एवं सोलानी प्रमुख नदियां है। इन नदियों पर खण्ड के द्वारा निम्न कार्य प्रस्तावि है जिनकी अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:–			
	सोलानी नदी बाढ सुरक्षा कार्य			
1	ग्राम हसनावाला में सोलानी नदी में वायरकेट वाल बाढ सुरक्षा कार्य।	वायरकेट वाल (43 मी० लम्बाई)	11.00	कार्य पूर्ण।
2	सोलानी नदी के दांये किनारे बसे खेडी शिकोहपुर ग्रामो की कृषि भूमि की बाढ से सुरक्षा योजना। (वर्ष 2014–23 के मध्य)	03 कि0मी0 तटबन्ध एवं स्टड निर्माण कार्य।	1065.00	कार्य प्रगति पर।
	रतमऊ नदीबाढ सुरक्षा कार्य			
3	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम कुडकवाला एवं लामग्रन्ट में रतमऊ नदी के किनारे सी0सी0 स्पर निर्माण कार्य ।	सी0सी0 स्पर (44 संख्या)	34.05	कार्य पूर्ण।

4	विकासखण्ड बहादराबाद में ग्राम कोटा मुरादनगर में रतमउ नदी के बायें किनारे पर तटबन्ध निर्माण का कार्य (तटबन्ध/टोवाल 0.150 कि0मी0 एवं स्टड–04 नं0)	तटबन्ध/टोवाल 0.150 कि0मी0 एवं स्टड–04 नं0	48.18	कार्य पूर्ण
	धुलिया नदी/लालो नदी बाढ सुरक्षा कार्य			
1	सी0एस0एस0आर0 मद के अन्तर्गत ग्राम बुग्गावाला, बादीवाला, दौडबसी, नौकरा ग्रन्ट, में धुलिया नदी/लालो नदी एवं धुलिया खाला में बाढ सुरक्षा कार्य (वर्ष 2014–19 के मध्य)	1–तटबन्ध का निर्माण. 1.100 कि0मी0, 2–स्पर–85 नं0 एव 3–वायरकेट वाल–3.00 कि0मी0।	478.99	कार्य प्रगति पर।
	हल्जोरानदी बाढ सुरक्षा कार्य			
1	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर मसाही में हल्जोरा नदी के किनारे स्पर निर्माण कार्य।	सी0सी0 स्पर (10 संख्या)	16.54	कार्य पूर्ण।
	गॉज/रायघाटी नदी बाढ सुरक्षा कार्य			
1	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम लालवाला खालसा एवं हरीपुर टोंगिया में गॉज/रायघाटी नदी के किनारे स्पर निर्माण कार्य।	स्पर निर्माण (21 संख्या)	32.88	कार्य पूर्ण।
	नोदरा नदी बाढ सुरक्षा कार्य			
1	ग्राम औरंगजेबपुर में नोदरा नदी में वायरकेट वाल बाढ सुरक्षा कार्य।	वायरकेट वाल (40 मी0 लम्बाई)	09.00	कार्य पूर्ण।
	योग:–		1737.23	

सादर,

(सतपाल महाराज)
मंत्री।

संलग्नक:–02

उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 को उत्तरित इं0 रवि बहादुर, मा0 सदस्य, विधान सभा के प्रथम मंगलवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या–41 के विषय में उत्तराखण्ड विधान सभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रकिया सम्बन्धी निदेश संख्या–162 के अन्तर्गत पूर्व प्रेषित सूचना की सत्यता की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अनुपूरक।

प्रस्तावित योजनाये

क्र0 सं0	योजना का नाम	लागत (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	4	5
	रतमऊ नदी बाढ सुरक्षा कार्य		
1	जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद में ग्राम शेखवाला में कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा हेतु टो वाल एवं स्पर निर्माण का प्राक्कलन।	472.52	प्राक्कलन गठन के उपरान्त मण्डल स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।
	रजवा रौबाढ सुरक्षा कार्य		
1	जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकासखण्ड मे रजवा रौ के बाएं किनारे पर स्थित गांजा एवं हसनवाला की बाढ सुरक्षा कार्य की पुनरीक्षित योजना।	321.17	योजना पूर्व टी0ए0सी0 UK/TAC/25/47 .Dated 21-02-2021से अनुमोदित है। नई दरों से पुनरीक्षित कर स्वीकृति हेतु प्रेषण की कार्यवाही गतिमान है।
	बीज नदीबाढ सुरक्षा कार्य		
2	जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकासखण्ड में बीज नदी के दांये तट पर ग्राम हरिपुर टोगिया एवं बादीवाला (नौकराग्रांट) की बाढ सुरक्षा कार्य की पुनरीक्षित योजना।	1521.81	योजना पूर्व टी0ए0सी0 UK/TAC/24/78 .Dated 18-10-2014से अनुमोदित है। नई दरों से पुनरीक्षित कर स्वीकृति हेतु प्रेषण की कार्यवाही गतिमान है।
	सोलानी नदी बाढ सुरक्षा कार्य		
3	जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर में सोलानी नदी के ग्राम बंजारावाला से अलावलपुर तक आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु स्टड एवं बन्धा के निर्माण कार्य की योजना।	6988.99	योजना पूर्व टी0ए0सी0 UK/TAC/22/85 .Dated 20-10-2013से अनुमोदित है। नई दरों से पुनरीक्षित कर स्वीकृति हेतु प्रेषण की कार्यवाही गतिमान है।
	जल निकासी		
4	जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर में ग्राम खेडी शिकोहपुर में प्राथमिक विद्यालय के सामने नाले के निर्माण कार्य का प्राक्कलन।	16.45	प्राक्कलन का परीक्षण विभागीय स्तर पर गतिमान है । शीघ्र स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5	आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकासखण्ड के ग्राम बुधवाशहीद में श्री महेन्द्र सिंह डिग्री पी0जी0 कॉलेज से चीला नदी तक ड्रेनेज/जलनिकासी कार्य का प्राक्कलन।	191.04	उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित विभागीय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24.03.2023 में प्रस्तावित कार्यस्थल के ड्रोन द्वारा विडियोग्राफी करने के निर्देश दिये गये, दिये गये निर्देशों के क्रम में आपत्ति का निराकरण कर विडियोग्राफी आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दी जायेगी।
	योगः–	**9511.98**	

(सतपाल महाराज)
मंत्री।